न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 19 / 2021

निर्णय दिनांकः– 23.02.2021

उनवान

1. खुशीराम पुत्र नेहनू जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. रोडी पत्नी नेहनू जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. मदनलाल पुत्र नेहनू जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. बहादूर पुत्र नेहनू जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. श्योप्यारी पुत्री नेहनू जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. मन्नी पुत्री नेहनू जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
7. प्रसन्न पुत्री नेहनू जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
8. शिमला पुत्री नेहनू जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगा पत्नी नन्दा जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
2. बृजमोहन पुत्र नन्दा जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. घनश्याम पुत्र जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
4. कसकन्दा पुत्री जाति मीना निवासीं श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
5. गुमान पुत्र नन्दा जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
6. प्रधान पुत्र नन्दा जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
7. लड्डू पत्रु नन्दा जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक
8. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री हरिराज सिं वकील प्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण के पूर्वजो के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 21 ख0न0 16 / 273 रकबा 1.20, ख0न0 262 रकबा 0.37 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के पूर्वज चतरा पुत्र सुखा के खातेदारी की आराजी थी जिसके साबिक ख0न0 114 मि, 13, 26 मिन थे। चतरा के चार पुत्र भूरा, नन्दा, नेहनू एवं लाखा है, जिसमें प्रार्थीगण नेहनू के वारिसान हैं तथा प्रतिपक्षीगण नन्दा के वारीसान है। नन्दा परिवार के बढा एवं कर्ता था, इस कारण वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात गलती से नन्दा के नाम खातेदारी मे दर्ज हो गई, जबकि वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण व अन्य वारिसान ने अपने पूर्वजो के समय ही मोखिक रूप से विभाजन कर लिया था तथा वादग्रस्त आराजीयात मे

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिपक्षीगण का 1/4 हिस्सा है तथ इसी अनुरूप मोके पर काबिज काश्त चले आ रहें है। तथा राज्य सरकार को लगान जमा करवाते आ रहे है।

वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गलती से मात्र प्रतिपक्षीगण के पिता केनाम खातेदारी मे दर्ज हो जाने व नन्दा की मृत्यु हो जाने के कारण अब प्रतिपक्षीगण केदिल में बेइमानी आने लगी हे तथा वह प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने, सम्पूर्ण भूमि का स्वयं मके नाम नामन्तकरण खुलवानें व भुमि रहन, बेचान पर आमादा है । जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है।

अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे उक्त वर्णित आराजी मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नही करे और ना ही जबरन बेदखल करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण बावजूद तामील सूचना के उपस्थित नही आने के कारण उसके विरूद्वएक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील की बहस सुनी गई। दोराने बहस प्रार्थीगण के वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि हमारे खातेदारी व कब्जे काश्त की है। जिससे प्रतिपक्षीगण का कोई लेना देना नही है। प्रतिपक्षीगण हमारे खेत मे जबरन दखलंदाजी करना चाहते है। अतः प्रतिपक्षीगण को पाबन्द फरमावे।

प्रार्थीगण वकील की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070--2074 आराजी खाता संख्या 21 ख0न0 16/273 रकबा 1.20, ख0न0 262 रकबा 0.37 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्टर वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील उनियारा नन्दा पुत्र चतरा हिस्सा पूर्ण जाति मीना सा. देह की खातेदारी में अंकित है।

प्रतिपक्षीगण की ओर से प्रकरण मे पैरवी हेतु कोई भी उपस्थित नही हुआ है। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अपूर्णीय क्षति भी प्रतिपक्षीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण को ही है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को ता फेसला वाद पाबन्द किया जाता हैं कि वे प्रार्थीगण के सयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 16/273 रकबा 1.20, ख0न0 262 रकबा 0.37 है कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 है0 वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील उनियारा हिस्से मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे तथा किसी प्रकार मजाहेमत व मदाखलत नहीं करें, ना कब्जा करने का प्रयास करें, ना आराजी रहन, बेचान, हस्तान्तरण करें, ना तो स्वयं और ना जरिये ऐजेन्ट, नौकर, पारिवारिक या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावें। एवं मोका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

D:\...ya\revenue\FESLA\rajswa 1\rajswa 1\Faisale.docx643